

भारत सरकार  
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारंकित प्रश्न सं. 2343 जिसका उत्तर  
शुक्रवार, 13 फ़रवरी, 2026/24 माघ, 1947 (शक) को दिया जाना है

राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास

† 2343. श्री राजेश रंजन:

क्या पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास के संबंध में पिछले पांच वर्षों के दौरान किए गए व्यय और प्राप्त उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या बिहार में राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (गंगा) के अंतर्गत माल दुलाई क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया है; और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री  
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): पिछले पांच वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय जलमार्गों (रा.ज.) के विकास के संबंध में किए गए व्यय और उपलब्धियों का विवरण, अनुबंध-1 और अनुबंध-2 में हैं।

(ख) और (ग): बिहार सहित रा.ज.-1 में कार्गो आवाजाही, वर्ष 2014-15 में 5.05 मिलियन एमटी से (लगभग) 220% तक बढ़कर 2024-25 में 16.38 मिलियन एमटी हो गई है।

दिनांक 13.02.2026 के लिए लोक सभा अतारंकित प्रश्न सं. 2343 के उत्तर के भाग (क) में संदर्भित अनुबंध

पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्यों में राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.) के विकास के संबंध में किए गए व्यय का विवरण:

पिछले पांच वर्षों के दौरान खर्च का विवरण						
क्र. सं.	राष्ट्रीय जलमार्ग	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को अनुदान (आईडब्ल्यूआई)- पूंजी परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान					
क	उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में रा.ज.-1 (गंगा- भागीरथी- हुगली नदी प्रणाली)	58.54	87.83	66.25	163.38	97.71
ख	केरल में रा.ज.-9 (कोट्टायम- वल्लीकोम) और रा.ज.-8 (अलाप्पुझा- चंगनसेरी) सहित रा.ज.-3 (पश्चिम तट नहर, केरल)	21.52	10.83	3.82	4.78	15.26
ग	चरण- 1, रा.ज.-4 (कृष्णा नदी, आंध्र प्रदेश)	3.62	3.08	0.18	0.67	1.22
घ	चरण- 1, रा.ज.-5 (ओडिशा)	2.13	2.58	0.76	26.53	2.24
ड.	नए राष्ट्रीय जलमार्गों सहित अन्य योजना स्कीमों में गोवा में रा.ज.-27 (कुंबरजुआ नहर), रा.ज.-68 (मांडवी नदी), रा.ज.-111 (जुआरी नदी), पश्चिम बंगाल में रा.ज.- 86 (रूपनारायण नदी), रा.ज.-97 (सुंदरबन)	13.21	13.47	4.36	11.25	33.47
2	जलमार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) (रा.ज.-1)	214.05	229.60	339.22	501.26	501.48
3	असम में पूंजी परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान- रा.ज.-2 और रा.ज.- 16	38.79	78.04	100.18	261.77	432.30
	<b>कुल</b>	<b>351.86</b>	<b>425.43</b>	<b>514.77</b>	<b>969.64</b>	<b>1083.68</b>

दिनांक 13.02.2026 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2343 के उत्तर के भाग (क) में संदर्भित अनुबंध

पिछले पांच वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास के संबंध में प्राप्त की गई उपलब्धियों का विवरण:

- (i) आईडब्ल्यूएआई जो, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) के अधीन एक स्वायत्त संगठन है के द्वारा अवसंरचना के विकास के साथ राष्ट्रीय जलमार्गों पर कार्गो परिवहन वर्ष 2013-14 के 18.1 मिलियन टन (एमएमटी) से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 145.84 एमएमटी हो गया है।
- (ii) वाराणसी (उत्तर प्रदेश), साहिबगंज (झारखंड) और हल्दिया (पश्चिम बंगाल) में तीन मल्टी मॉडल टर्मिनलों (एमएमटी) और कालूघाट (बिहार) में 1 अंतर-मॉडल टर्मिनल और रा.ज.- 1 (गंगा नदी) पर उत्तर प्रदेश बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के राज्यों में 60 सामुदायिक जेट्टियों का निर्माण।
- (iii) फरक्का (पश्चिम बंगाल) में एक नया नौवहन लॉक और जलयानों की सहज एवं तीव्र आवाजाही की सुविधा के लिए रा.ज.-1 पर दो (02) क्लिक पोर्टन ओपनिंग तंत्र (क्यूपीओएम) उत्तर प्रदेश और बिहार, प्रत्येक में एक का निर्माण। इसके अलावा, फरक्का में मौजूदा नौचालन लॉक का आधुनिकीकरण शुरू किया गया है और जुलाई, 2026 में इसके समाप्त होने की अपेक्षा है।
- (iv) जोगीघोपा (असम) और बोगीबील (असम) में पूर्ण टर्मिनल। असम के जोगीघोपा, पांडू, विश्वनाथ घाट और नेमाती पर कूज जलयानों के लिए चार (04) समर्पित जेट्टियां उपलब्ध कराई गई हैं। इसके साथ ही असम के सादिया, लाइका और ओरियम घाट पर कूज एवं यात्रियों के लिए जेट्टी निर्मित की गई है।
- (v) गुवाहाटी, असम के पूर्वोत्तर क्षेत्र में अंतर्देशीय जलयान कर्मिदल प्रशिक्षण के लिए, समुद्री कौशल विकास केंद्र (एमएसडीसी) की स्थापना की गई है।
- (vi) असम में रा.ज.-16 (बराक नदी) पर बदरपुर और करीमगंज पर दो मौजूदा टर्मिनलों का उन्नयन।
- (vii) भारत और बांग्लादेश के बीच, सीमा पार पारगमन कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए त्रिपुरा में गोमती नदी पर सोनामुरा टर्मिनल का विकास किया गया है।
- (viii) गोवा सरकार को चार (04) फ्लोटिंग कंक्रीट जेट्टियां प्रदान की गई और गोवा में मांडवी नदी (रा.ज.- 68) पर स्थापित की गई।
- (ix) आंध्र प्रदेश में रा.ज.-4 (कृष्णा नदी) पर चार पर्यटन जेट्टियां शुरू की गई और उत्तर प्रदेश में मथुरा-वृंदावन खंड में रा.ज.- 110 (यमुना नदी) पर 12 फ्लोटिंग जेट्टियां, बिहार में रा.ज.- 73 (नर्मदा नदी) पर दो (02) जेट्टियां और रा.ज.- 37 (गंडक नदी) पर दो (02) जेट्टियां कार्यान्वयनाधीन है।
- (x) सुरक्षित यात्री आवागमन के लिए राज्यों को वर्ष 2023-24 के दौरान, 10 रो-रो/ रो- पैक्स जलयान सौंपे गए:-

- उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन के तहत दो रो- पैक्स जलयान अर्थात् एम.वी. सैम मनेकशाँ और एम.वी. स्वामी विवेकानंद तैनात किए गए है।
  - असम सरकार के साथ समझौता ज्ञापन के तहत चार रो-पैक्स अर्थात् एमवी सचिन देव बर्मन, एमवी रानी गैडिनल्यू, एमवी जेएफआर जैकब और एमवी बॉब खाटिंग तैनात किए गए हैं।
  - केएसआईएनसी (केरल पोत परिवहन और अंतर्देशीय नौचालन कॉरपोरेशन) के साथ समझौता ज्ञापन के तहत दो रो-रो जलयान अर्थात् एमवी आदि शंकरा और एमवी सीवी रमन तैनात किए गए हैं।
  - बिहार सरकार के साथ समझौता ज्ञापन के तहत दो रो-पैक्स जलयान अर्थात् एमवी राजेंद्र प्रसाद और एमवी स्वामी परमहंस तैनात किए गए हैं।
- (xi) देशज इलेक्ट्रिक फेरी और अग्रिम पर्यावरणीय अनुकूल अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए आईडब्ल्यूएआई ने निम्नलिखित पहल शुरू की है:
- (क) हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामारन जलयान: आईडब्ल्यूएआई, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) से ऐसे 8 जलयान खरीद रहा है। वाराणसी (गंगा नदी- रा.ज.- 1) और अयोध्या (घाघरा नदी- रा.ज.- 40) पर पहले दो जलयान तैनात किए गए हैं। इसके अलावा, पटना (रा.ज.-1) में गायघाट टर्मिनल पर तीसरा टर्मिनल को पहले ही स्थापित किया गया है और जनवरी, 2026 में कोलकाता (रा.ज.-1) में चौथा टर्मिनल तैनात किया गया है। बचे हुए ऐसे 4 जलयानों को 2026 के दौरान पूरा करने और तैनात करने के लिए निर्धारित किया गया है।
- (ख) हाइड्रोजन ईंधन सेल कैटामारन: कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ आरएंडडी पहल के भाग के रूप में, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने भारत का पहला हाइड्रोजन- संचालित कैटामारन शुरू किया है जो अब वाराणसी में चालु है। यह शून्य- उत्सर्जन जलयान मुख्य रूप से कार्बन फुटप्रिंट को कम करता है और अंतर्देशीय जलमार्ग में सतत नवाचार के लिए मानदंड तय करता है।
- (xii) उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम और केरल राज्यों में जलयानों के परिचालन के लिए 2.0/2.2/2.5/3.0 मी. न्यूनतम उपलब्ध गहराई (एलएडी) और 35/45 मी. चौड़े नौवहन चैनल उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.) में फेयरवे रख-रखाव कार्य (नदी प्रशिक्षण, रख-रखाव ड्रेजिंग, चैनल मार्किंग और नियमित हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण) शुरू किए गए हैं। द

\*\*\*\*\*